न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 09/2023

आरसीएमएस नम्बरः–2023/109

1. नत्थीलाल पुत्र रूपसिंह जाति जाट ग्राम सरानी खेडा तहसील व जिला धौलपुर
2. रामवती देवी पुत्री रूपसिंह पत्नि गजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सरानी खेडा तहसील व जिला धौलपुर हाल आबाद जगनेर, मलपुरा , आगरा, उ0प्र0
3. इन्द्रावती पुत्री रूपसिंह पत्नि प्रेमसिंह जाति जाट निवासी सरानी खेडा तह. व जिला धौलपुर हाल आवाद उजरई, अकोला, आगरा (उ0प्र0)
4. मीरादेवी पुत्री रूपसिंह पत्नि महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर हाल आवाद वास सुजान वेरी जाहर आगरा, उ0प्र0
5. राजेन्द्री पुत्री रूपसिंह पत्नि रामवीर सिंह जाति जाट निवासी सरानीखेडा तह0 व जिला धौलपुर हाल आवाद विसायतीपुरा, पुरैनी , धौलपुर

————————— अपीलाण्टस

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सरानी खेडा तहसील व जिला धौलपुर
2. सचिव, ग्राम पंचायत सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

—————————————————— रेस्पोडेण्टस

अपील व विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश सरपंच ग्राम पंचायत सरानीखेडा, तहसील धौलपुर।

उपस्थितिः– श्री सतीश शर्मा एडवोकेट, अपीलान्ट की ओर से
श्री नीतेश कुमार, सरपंच, ग्राम पंचायत सरानी, धौलपुर
ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा0पं0सरानी, तहसील धौलपुर

दिनांक – 18.11.2024

निर्णय

अपीलाण्ट की ओर से अपील प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी ख. नं. 1121रकवा 0.2908 है0, 1122 रकवा 0.0253 है0, 1123 रकवा 0.3794 है0, 398 रकवा 0.3035 है0, 399 रकवा 0.3035 है0, 400 रकवा 0.9104 है0, 1027 रकवा 0.4299है0, 1117 रकवा 0.2150 है0, 2243 रकवा 0.2599 है0, 2245 रकवा 0.2655 है0, 2590 रकवा 0.4173 है0 925/2891 रकवा 0.4046 है0 कुल किता 12 रकवा 4.9181 है0 वाके ग्राम सरानी खेडा तहसील व जिला धौलपुर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार अपीलान्टस है। उक्त आराजीयात के पूर्व में खातेदार अपीलान्टस के पिता रूपसिंह पुत्र जातिराम जाति जाट निवासी ग्राम सरानीखेडा तहसील व जिला धौलपुर थे। अपीलान्टस के पिता के निधन के उपरान्त उक्त आराजीयात पर जरिए नामान्तरकरण संख्या 789 संलग्न जमाबंदी संवत्

उपखण्डअधिकारी
धौलपुर (राज0)

2076–79 विरासत के आधार पर दर्ज रिकॉर्ड किया गया। उक्त नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा आम बोलचाल की भाषा के आधार पर खोला गया। दिनांक 28.09.23 को अपीलान्टस द्वारा उक्त आराजीयात की पत्रावली ऋण लेने बावत तैयार करने को कहा तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजीयात पर हो रहे इन्द्राजात के बारे में अपीलान्टस को जानकारी दी। जिस पर उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की। ग्राम पंचायत सरानीखेडा के सरपंच द्वारा अपीलान्टस के पिता के निधन के उपरान्त बिना शिक्षा रिकॉर्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशनकार्ड तथा बिना जानकारी किए आम प्रचलन की भाषा में बोले जाने वालो नामों से नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। अपीलान्टस के सही नाम निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	आम प्रचलन में बोले जाने वाले नाम	रिकॉर्ड के आधार पर सही नाम
1.	नत्थी	नत्थीलाल
2.	श्यामवती	रामवती देवी
3.	इन्द्रवती	इन्द्रावती
4.	मीरा	मीरादेवी
5.	राजनदेई	राजेन्द्री

अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 789 ग्राम सरानी तहसील व जिला धौलपुर को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम नामान्तरण दर्ज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 ने स्वंय उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा नामान्तकरण आम बोलचाल की भाषा के नाम से गलत खोल दिया जाना स्वीकार करते हुए अपील की मद संख्या 6 में वर्णित नामा वाले एक ही व्यक्ति बताए है।

अपीलार्थी की ओर से अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रति नामा0संख्या 789 ग्राम सरानी दिनांक 20.12.2018, जमाबंदी संवत् 2076–79 ग्राम सरानी खाता संख्या 57, 58, मृत्यु प्रमाण पत्र रूपसिंह दिनांक 24.01.2018, सिजरा रूपसिंह द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत सरानी, एंव छायाप्रति आधारकार्ड व अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रतियां पेश की गई।

वकील अपीलान्टस् एवं रैस्पोडेण्ट संख्या 01 व 2 को सुना गया। वकील अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दुहराते हुए नामा0 संख्या 789 दिनांक 20.12.2018 ग्राम सरानी को निरस्त किया जाकर सहीनामान्तरण खोले जाने हेतु कथन किया। रेस्पो0 संख्या 01 व 02 ने कोई आपत्ति नही की तथा वकील अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकारते हुए अपील प्रार्थना पत्र में अंकित नामो को मृतक रूपसिंह के वारिसान का सही नाम होना स्वीकार किया तथा नामान्तरण में दर्ज नामों के अन्य व्यक्ति होने से इंकार किया।

उपखण्डअधिकारी
धौलपुर (राज0)

बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रति नामा0 संख्या 789 दिनांक 20.12.2018 मृतक रूपसिंह पुत्र जातिराम के फौत होने पर विरासतन सरपंच, ग्राम पंचायत सरानी द्वारा स्वीकार किया गया है। रेस्पो0 संख्या 01 व 02 ने अपीलान्ट के आम बोलचाल के नाम नामान्तरण में दर्ज होना स्वीकार किया है तथा ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्तुत मृतक रूपसिंह के सिजरा के अनुसार भी नामान्तरण में दर्ज नाम में भिन्नता है। अतः हम ग्राम पंचायत सरानी द्वारा खोले गए नामा0 संख्या 789 दिनांक 20.12.2018 ग्राम सरानी में नाम संबधी अशुद्धि होने के कारण त्रुटिपूर्ण पाते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत तगावली द्वारा स्वीकृत विरासत का नामान्तरकरण संख्या 789 तारीखी 20.12.2018 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार धौलपुर को प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह पुनः मृतक रूपसिंह पुत्र जातिराम जाति जाट सा0 देह खातेदार के विधिक वारिसान की स्वंय के स्तर से विधिवत् विस्तृत जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण खोले जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
धौलपुर, जिला (धौलपुर)

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... (राज0)

07/2/2025 - ग्राम पंचायत तगावली के स्थान पर ग्राम पंचायत सरानी पढ़े जाने के आदेश दिए जाते हैं

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)